

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7-7/2001/10-2,

नया रायपुर, दिनांक /1/2018

प्रति,

उप संचालक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ रोड,
राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

विषय:- छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में संशोधन बाबत ।

-----00-----

विषयांकित संदर्भ में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-7/2001/10-2, दिनांक 22.01.2017 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति संलग्न है ।

2/ आदेशानुसार निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) के आगामी अंक में प्रकाशित कर, प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

उपरोक्तानुसार ।

(एम.एन.राजूरकर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 22/1/2018

पृ. क्रमांक एफ 7-7/2001/10-2,

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, सरगुजा, छत्तीसगढ़
3. वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के उपरान्त अधिसूचना की प्रतियां प्राप्त कर इस विभाग को तत्काल उपलब्ध करावें ।

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

छत्तीसगढ़, रायपुर

21/1/18 421

APCCF (P&OD)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर दिनांक 22/01/2018

क्रमांक एफ 7-7/2001/10-2 :: छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज की निम्नलिखित प्रजातियों को जो नीचे सारणी में दर्शित है, उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है। तदनुसार छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

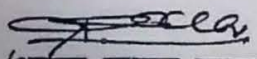
संशोधन

उक्त नियमों में:-

नियम 4 के उप नियम (ख), खंड 01 के सरल क्रमांक (ग्यारह) में बांस- 07 जिलों में - 1. सरगुजा, 2. जशपुर, 3. जांजगीर-चांपा, 4. कोरबा, 5. धमतरी, 6. कवर्धा, 7. महासमुन्द को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये-

(ग्यारह) में बांस - 09 जिलों में- 1. सरगुजा, 2. जशपुर, 3. जांजगीर-चांपा, 4. कोरबा, 5. धमतरी, 6. कवर्धा, 7. महासमुन्द 8. बलरामपुर, 9. सूरजपुर।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अतुल कुमार शुक्ल)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

**Government of Chhattisgarh
Forst Department
Mahanadi Bhawan, Mantralaya
Naya Raipur (C.G.)**

-: NOTIFICATION :-

Naya Raipur, Dated 22 January 2018

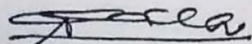
F. No. 7-7/2001/10-2 : In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules. 2001, the State Government hereby, exempts the following species of forest produce owned by any person, from the operation of the said rules, and accordingly hereby makes the following amendment in Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules 2001.

-: AMENDMENT :-

In the Said Rules:-

The Serial no. (xi) of the clause (I) of the sub rule (B) of the rule 4, in place of 07 districts namely - 1. Surguja, 2. Jashpur, 3. Janjgir-Champa, 4. Korba, 5. Dhamatari, 6. Kawardha, 7. Mahasamund the following 09 districts are inserted - 1. Surguja, 2. Jashpur, 3. Janjgir-Champa, 4. Korba, 5. Dhamatari, 6. Kawardha, 7. Mahasamund, 8. Balrampur, 9. Surjpur.

**By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh**


(Atul Kumar Shukla)

Secretary
Government of Chhattisgarh
Forest Department